न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 38 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. चुन्नीलाल पिता कि''ानलाल जी नागदा, जाति ब्राहमण, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जितेन्द्र जो''ी पिता लक्ष्मीलाल जी जो''ी, जाति ब्राहमण, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. कमले''ा जो''ी पिता छोगालाल जी जो''ी, जाति ब्राहमण, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. पोखर पिता सगतींग जी प्रजापत, जाति प्रजापत, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. उदयराम जो''ी पिता जोधराज जी जो''ी, जाति ब्राहमण, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मादडी देवस्थान, इंचार्ज श्रीमती मधु जलौरा प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा प्रकरण स॰ राजस्व/2017/117, दिनांक 03.02.2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री जी0 एस0 मेहता अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक

30–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदे”ा दिनांक 03–02–2017 से ग्राम मादडी देवस्थान की आराजी नंबर 681 रकबा 0.1850 हैक्टर में से 0.0050 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1271/681 रकबा 0.4250 हैक्टर में से 0.0250 हैक्टर भूमि को रास्ता दर्ज करने का आदे”ा दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदे”ा हमारी वार्ड पंच व उसके पति द्वारा ग्राम पंचायत विसमा के सरपंच को गुमराह कर गुपचुप तरीके से करवाया गया है, जिसकी जानकारी आम जनता को होने से उक्त आदे”ा की प्रतिलिपि दिनांक 28–05–2018 को प्राप्त अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः न्यायहित में विलम्ब कण्डोन किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्टगण द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट उक्त गांव के निवासी होकर उक्त आदे”ा से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुने बिना एवं बिना पक्षकार बनाये आदे”ा पारित कर दिया गया है। अतः अपीलान्टगण

प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें होने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण जाती है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्र''न है, राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 681 रकबा 0.1850 हैक्टर राजकीय भवनों हेतु आरक्षित तथा आराजी नंबर 1271/681 रकबा 0.04250 हैक्टर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मादड़ी देवस्थान के नाम दर्ज है। राजकीय भवनों के लिए आरक्षित भूमि एवं विद्यालय के नाम दर्ज भूमि से अपीलान्टगण के हित किस प्रकार स प्रभावित हो रहे हैं, यह उसके द्वारा अपने आवेदन में कहीं पर भी स्पश्ट नहीं किया गया है। अपीलान्टगण का मात्र यह कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा गलत तरीके से अपने नाम निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर उक्त निर्णय पारित करवा लिया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदे''ा से उनके हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे, यह उनकें द्वारा अपने आवेदन में कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है। तद्नुसार हम अपीलान्टगण को आव''यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं।

अतः अपीलान्टगण आव''यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदे''ा दिनांक 03–02–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर